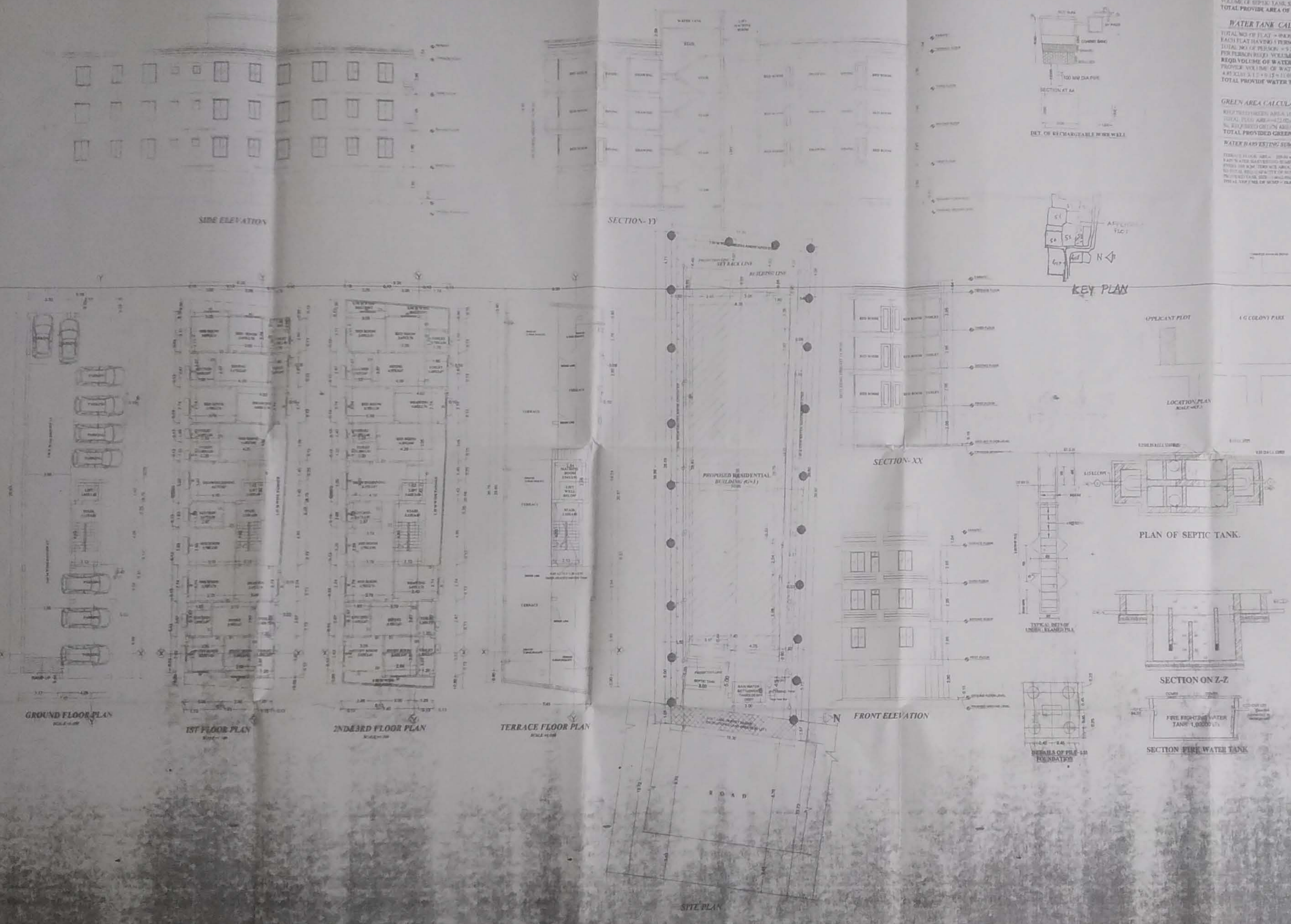

SEPTIC TANK CALCULATION:-

TOTAL REQD. VOLUME OF SEPTIC TANK = 45X85000 = 3.825 cft.m.

TOTAL PROVIDE AREA OF SEPTIC TANK = 15.00 cft.m.

WATER TANK CALCULATION:-

TOTAL NO. OF FLAT = 9 NOS.

EACH FLAT HAVING 5 PERSON

TOTAL NO. OF PERSON = 9 X 5 = 45 PERSON

REQD VOLUME OF WATER TANK = 45 X 135 = 6075.00 ltrs

TOTAL PROVIDE WATER TANK CAP CITY = 11.69 cum = 11690 ltr LTRS.

GREEN AREA CALCULATION :-

TOTAL PROVIDED GREEN AREA = 64.34 sqm

WATER HARVESTING SUMP CALCULATION:-

SPECIFICATION :-

1. FOUNDATION - R.C.C. ...
2. SUPER STRUCTURE - ...
3. PLINTH - ...
4. FLOORING - ...
5. ROOF - ...
6. DOORS - ...
7. WINDOWS - ...
8. PLASTER - ...
9. COLOURING - COLOUR OR WHITE WASH ...

AREA CALCULATION :-

PLOT AREA AS PER DEED = 534.68 sq.m.
PLOT AREA AS PER SITE = 441.28 sq.m.
GOVT. LAND (SURVEY DAGAR)
ENCROATCHED LAND AREA TO BE LEFT = 16.77 sq.m.
NET PLOT AREA = 422.02 sq.m.

GROUND FLOOR B/U AREA = 16.87 sq.m.
1ST FLOOR B/U AREA = 228.69 sq.m.
2ND FLOOR B/U AREA = 236.03 sq.m.
3RD FLOOR B/U AREA = 236.03 sq.m.
TOTAL B/U AREA (ALL FLOOR) = 717.62 sq.m.
F.A.R. = total built up area / Plot area = 717.62 / 422.02 = 1.70

PARKING CALCULATION:-

RESIDENTIAL PARKING

TOTAL REQUIRED CAR PARKING AREA = 179.41 sq.m.
TOTAL PROVIDE COVERED PARKING CAPACITY = 211.82 sq.m.

PLOT DETAILS :-

PROPOSE RESIDENTIAL COMPLEX OF MOHAMMAD ZAKIR HUSSAIN S/O LATE TAUHEED HUSSAIN M.D. AROMA DEVELOPERS PVT LTD HAVING SURVEY PLOT NO - 79 PART, THANA NO - 09, KHATA NO-269, TAUZI NO - 1761 MAUZA - SHEKHPURA SITUATED AT A.G. COLONY DISTRICT-PATNA

LAND OWNER DETAIL:-

1. SMT KALAWATI DEVI W/O LATE BHAGWAN CHOUDHARY
2. SRI BHIKHU SINGH S/O LATE SURESH SINGH

SHEET NO.	SCALE	NORTH
S.D.-01/02	1 : 100 1 : 200	

SIGNATURE OF ARCHITECT

SIGNATURE OF DEVELOPER

SIGNATURE OF ENGINEER

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (DISSOLVED)
P/Shekhpura Case No. PRN - GH3/139 20 20
Sanction of Plan Accorded under Section 314, 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007 by the Municipal Commissioner, Patna on 15/06/2020

SANCTION OF PLAN ACCORDED

निदेशक
शहरी योजना
पटना नगर निगम, पटना

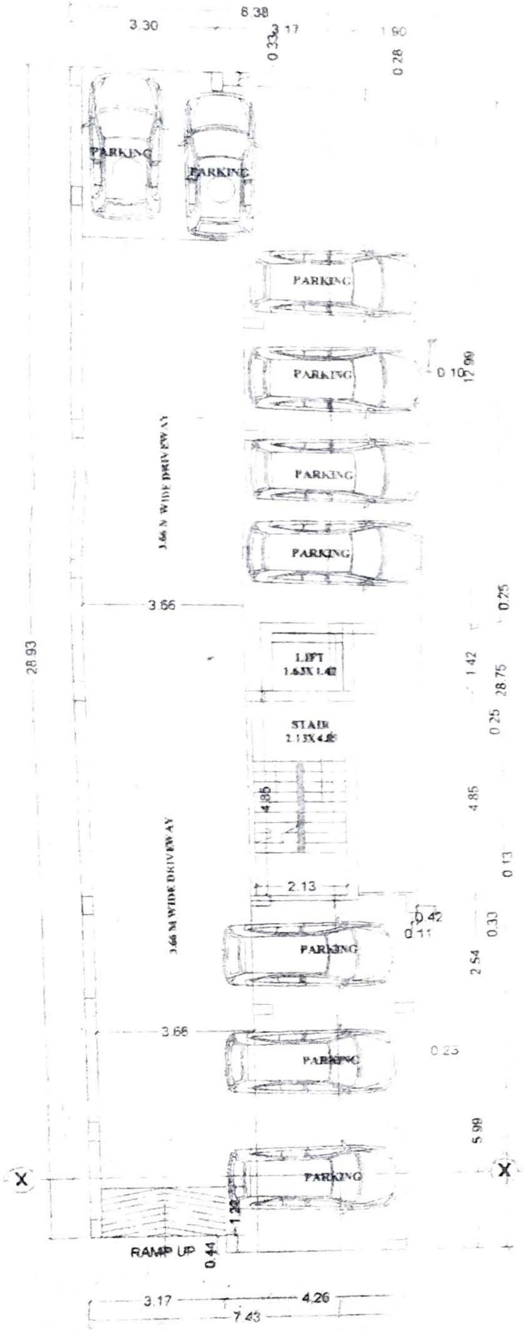

GROUND FLOOR PLAN
SCALE =1:100

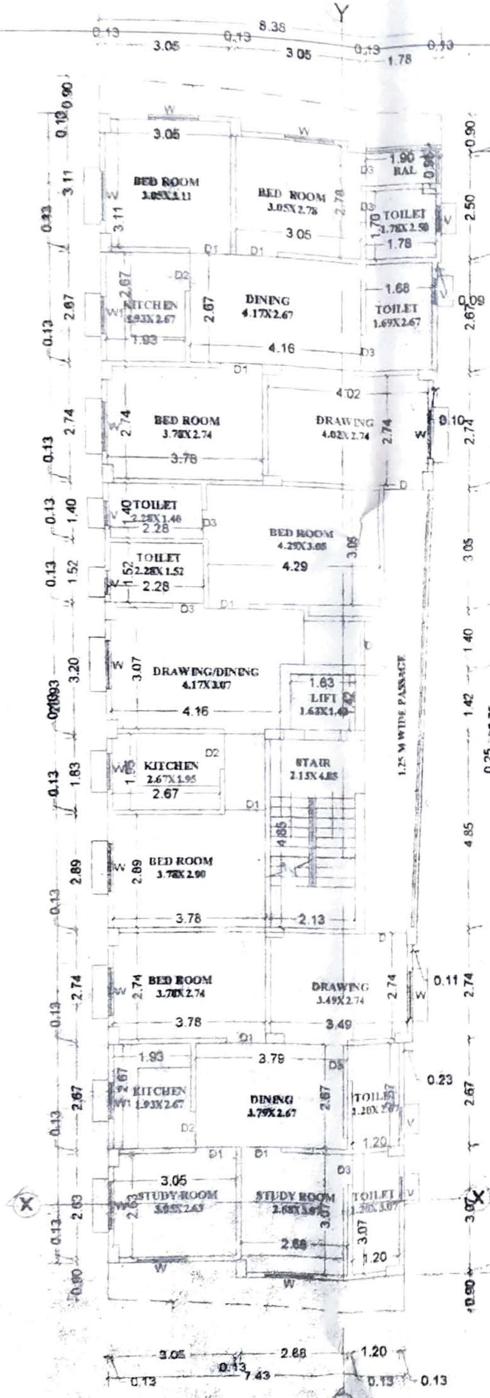

1ST FLOOR PLAN
SCALE =1:100

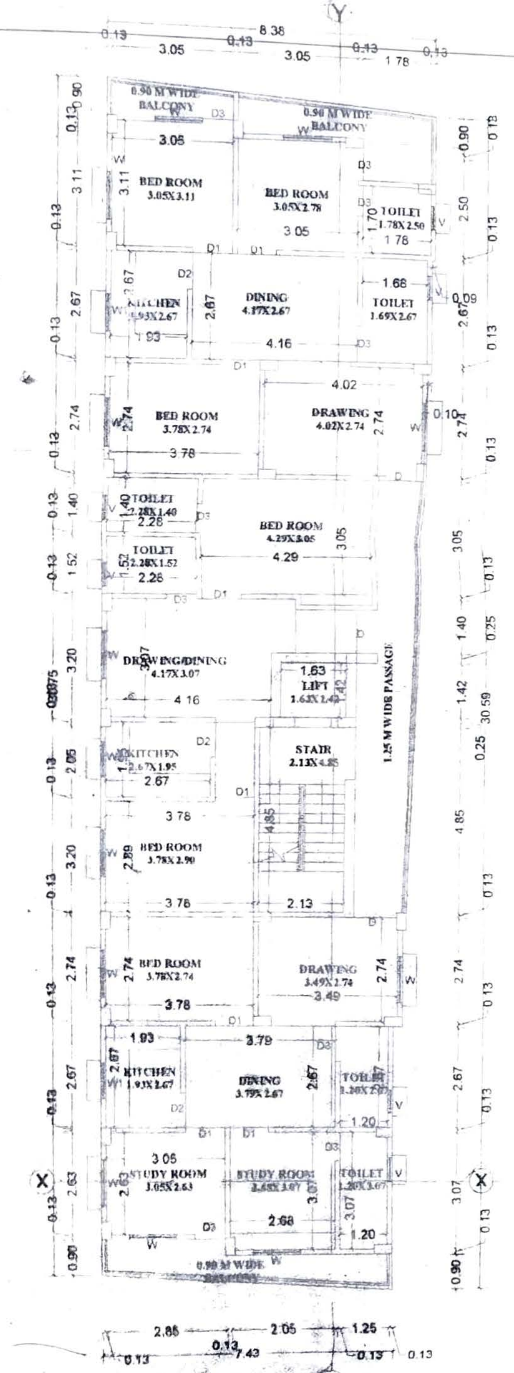

2ND&3RD FLOOR PLAN
SCALE =1:100

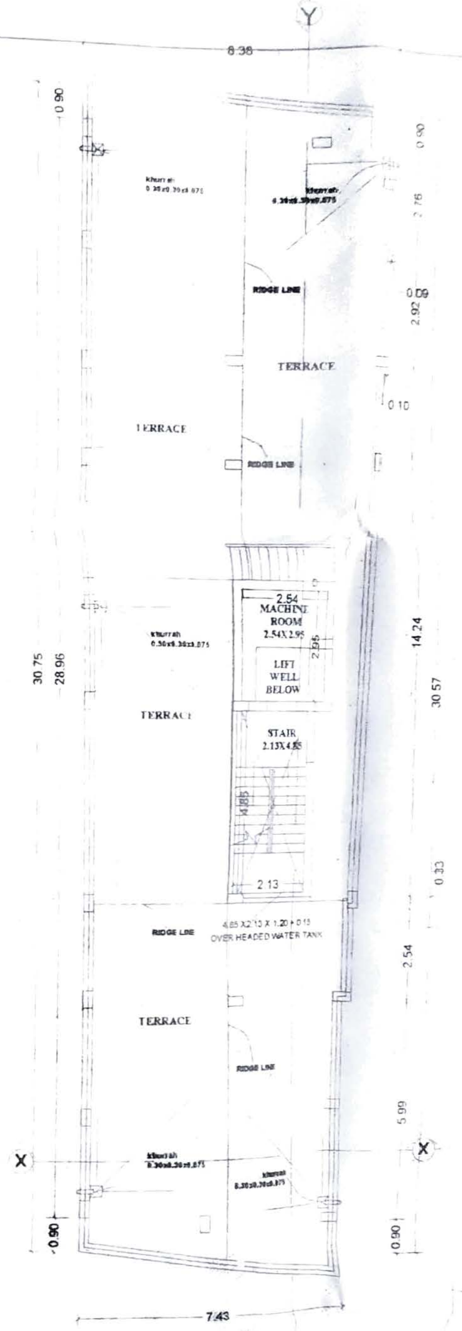

TERRACE FLOOR PLAN
SCALE =1:100

पटना नगर निगम

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका

1864

CITY OF PATNA

Letter No. पत्रांक: 7753

Date दिनांक: 30/07/2020

सेवा में

कलावती देवी एवं अन्य,
पति–स्व0 भगवान चौधरी,
पता– 285, रोड न0– 3 ई0 न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी
बोरिंग रोड,पटना।

विषय – प्लॉन केस सं0–P-/Shekhpura -PRN-G+3/139/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या–PMC BPAS-00395/2020/BP की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन संख्या– **P-/Shekhpura -PRN-G+3/139/2020** ऑटो मैप आवेदन **संख्या– PMC BPAS-00395/2020/BP** के संदर्भ में कलावती देवी एवं अन्य पति–स्व0 भगवान चौधरी,पता– 285, रोड नं0– 3 ई0 न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, **बोरिंग रोड**,पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित............... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के ......सर्वे प्लॉट सं0–59,खाता सं0–269,तौजी सं0–5761 थाना सं0–09, मौजा–शेखपुरा पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तों/ निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से अवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठाकन के साथ सलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 211.82 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 8.70 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौडाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 16.27 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) भवन उपविधि के कंडिका–09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/ बिल्डर की होगी।

Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

Maurya Lok Complex, Budhha Marg, Patna, Bihar 800001. T +91-612-2223791, F+91-612-2200691, E patnamc-bih@gov.in, W pmc.bihar.gov.in
facebook.com/cityofpatna twitter.com/cityofpatna instagram.com/cityofpatna youutbe.com/cityofpatna 947 222 3909

(ञ) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है।भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ) ग्रीन–एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप–विधि, 2014 के कंडिका–32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

30/7/20

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

[illegible] Lok Complex, Budhha Marg, Patna, Bihar 800001, T +91-612 2223791, F +91-612-2200691, E patnamc-bih@gov.in, W pmc.bihar.gov.in
facebook.com/cityofpatna twitter.com/cityofpatna instagram.com/cityofpatna youtube.com/cityofpatna 947 222 3909

पटना नगर निगम

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका 1864

CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांकः 1151...

Date / दिनांकः 30/07/2020

सेवा में

1. कलावती देवी एवं अन्य,
   पति–स्व0 भगवान चौधरी,
   पता– 285, रोड नं0– 3 ई0,न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी,
   बोरिंग रोड,पटना।
2. वास्तुविद, श्री अमीत कुमार, निबंधन सं0–AR/08/2015
   पटना नगर निगम।

विषय – **प्लॉन केस सं0– P-/Shekhpura -PRN-G+3/139/2020 ऑटो मैप आवेदन संख्या–PMC BPAS-00395/2020/BP के निबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 16.27 वर्ग मीटर भू–पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करवाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू–स्वामी/ भवन निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 16.27 वर्ग मीटर) भू–पट्टी छोड़ कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ ही कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 16.27 वर्ग मीटर भू–पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है।भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि–14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र–II में जमा करना संबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय अभियंता से समय–समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/ अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

30/7/2020

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

PATNA MUNICIPAL CORPORATION

PATNA REGIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (DISSOLVED)

P/Shekhpura-PRN-GH3/139 Case No. 2020

Sanction of Plan Accorded under Section 314, 315, 316 & 317 of the Bihar Municipal Act 2007 by the Municipal Commissioner, Patna on......... 15/06/2020

SANCTION OF PLAN ACCORDED

30/7/2020

निदेशक

शहरी योजना

पटना नगर निगम, पटना

28-07-2020